RAJYA SABHA

Wednesday, the 10*th May*, 1989/ 20*th Vaisakha*, 1911 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reservation of seats in Kendriya Vidyalayas for wards of State Government employees

*221. SHRI ASHOK NATH VERMA : †
SHRI MOSTAFA BIN QUASEM :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that of late, some State Governments have demanded that there should be some percentage of seats reserved for their employees' wards in Kendriya Vidyalayas located in their States ;

(b) if so, what are the names of such States and the justification advanced therefor; and

(c) what is the reaction of Sangathan to this demand ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) The Government of Madhya Pradesh had sought earmarking of 25% seats in Kendriya Vidyalayas in that state for children belonging to Madhya Pradesh.

On being pointed out that the scheme of Kendriya Vidyalayas is meant primarily for catering to the educational needs of children of transferable Central Government employees the Government of Madhya Pradesh has dropped the demand.

श्री अशोक नाथ वर्मा : सभापति महोदय, करीब 725 केन्द्रीय विद्यालय हैं । क्या यह बात सच है कि किसी भी राज्य में केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने के लिए राज्य सरकार 15 एकड़ भूमि मुफ्त देती है तथा जब तक केन्द्रीय विद्यालय की इमारत तैयार नहीं हो जाती, उनके अध्यापकों के रहने के लिए प्रबंध करती है । अगर यह सच है कि तो राज्य कर्मचारियों के प्रवेश के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक सरकार क्यों नहीं सोचती ?

श्री एल० पी० साही : यह बात सही है कि स्कूल शुरू करने से पहले 15 एकड़ जमीन और कुछ दिन के लिए टैम्पोरेरी एकामोडेशन कभी निःशुल्क और कभी किराए पर मिलता है क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय तीन स्ट्रीम के हैं । एक शुरू में तो डिफेन्स पर्सनल के लिए खुला, तो वहां पर जगह, जमीन या मकान डिफेन्स डिपार्टमेंट मुहैया करता है । दूसरा स्ट्रीम है प्रोजेक्ट स्ट्रीम, जिसमें पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्ट जहां पर लगे हैं, वे अपनी जमीन से जमीन या मकान निकालकर देते हैं और उसका खर्चा भी वहन करते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन उस स्कूल को चलता है और तीसरा स्ट्रीम है सिविल सैक्टर, जिसमें जमीन राज्य सरकार या कोई दूसरी संस्था उपलब्ध कराती है, तो हम चलाते हैं । यह बात सरकार के सामने इसके पहले भी आई थी कि स्थानीय लोगों के लिए कुछ इसमें गुंजाइश की जाए । एक सैक्शन में 35 विद्यार्थी अभी लिए जाते हैं, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं किया है कि अगर 35 को बढ़ाकर हम 40 कर दें तो कुछ स्थानीय लोगों को गुंजाइश उसमें हो जाये, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री अशोक नाथ वर्मा: सभापति महोदय, हमारी जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय विद्यालयों में हर साल अण्डर स्पेशल डिस्पेंशन संगठनिक केन्द्रीय कर्मचारियों के लड़कों को छोड़कर अन्य लोगों के लड़कों को प्रवेश मिलता है ।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashok Nath Verma.

अगर यह बात सच है तो सरकार यह बताए कि सन् 1988-89 में कितने ऐसे लड़कों को प्रवेश दिया ? अगर ऐसे लड़कों को प्रवेश दे सकते हैं तो अण्डर स्पेशल डिस्पेंसेशन राज्य-सरकार के कर्मचारियों के लड़कों के लिए कुछ जगह आरक्षित रखने में सरकार का क्या विचार है ?

श्री एल० पी० साही : स्पेशल डिस्पेंशन के अन्दर राज्य सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के लड़कों को भी मिलता है, मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है । स्पेशल डिस्पेंशन में तो किसी को मिल सकता है, उसमें यह बात नहीं है, उनको भी मिल सकता है ।

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM : It is clear that not only the wards of transferable Central Government employees are admitted in the Kendriya Vidyalayas but other students are also admitted. May I know from the hon. Minister as to who generally constitute such 'other students', and part (b) of my question is, when such other students are admitted, whether the Government are ready to make at least some special provision, short of reservation, for admission of children of State Government employees in the Kendriya Vidyalayas in that State.

SHRI L. P. SHAHI : As I have already stated, primarily these schools are meant to cater to the children of transferable Central Government employees. Whenever we exercise the discretion and grant admission to someone under special dispensation, it is either on the vacant seats or after increasing the number of seats in a particular section. But we do not in any way come in the way of those who are ordinarily supposed to be entitled for it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Minister has stated that children of transferable Central Government employees are given admissions to Kendriya Vidyalayas. I know of cases where the seats have no been filled up in various Kendriya Vidyalayas. Suppose there are 35-40 seats and the students admitted are less than 25, ten seats are kept vacant. The infrastructure is there, but the children of State Government employees who belong to the same town and same place are not accommodated in such schools in spite of many vacant seats, as I said, about ten seats are kept vacant and unfilled. Will the hon. Minister consider our suggestion to accommodate the children of the State Government employees in these schools ?

SHRI L. P. SHAHI : Certainly, there can be no objection under these circumstances. Last year we got a circular issued that if seats are vacant, these may be filled up by students of other categories.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, केन्द्रीय विद्यालय कुल मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए उनमें प्रवेश की मांग पर बल दिया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि विद्यालयों की संख्या बढ़ाने में क्या कठिनाई है ? दूसरा भाग मेरे प्रश्न का यह है कि केन्द्रीय सरकार के अन्य दफ्तरों में यह नियम प्रचलित है कि जहां तक संभव हो पति-पत्नी को एक ही स्थान पर काम करने की सुविधा दी जाए लेकिन केन्द्रीय विद्यालय संगठन अभी तक इस संबंध में कोई नीति नहीं बना सका है, इसका क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इससे आपका क्या मतलब है, आप दूसरों की चिन्ता क्यों करते हैं ?

श्री एल० पी० साही : महोदय प्रति वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों में वृद्धि होती है और पिछले चार वर्षों में 239 स्कूल बढ़ाए गए हैं ।

श्री सभापति : इससे उठता नहीं है यह सवाल, फिर भी आपने पूछ लिया वाजपेयी जी . . .

श्री एल० पी० साही : अभी हमारे पास 729 स्कूल हैं जिनमें से 239 नए हैं जो पिछले 4 सालों में बढ़े हैं । आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा स्कूलों की संख्या बढ़ाने में तरक्की हुई है, ज्यादा स्कूल खोले जा रहे हैं ।

जहां तक पति-पत्नी को एक साथ रखने का सवाल है इसमें हमारी कोशिश यह जरूर रहती है कि हम उनके साथ रहने में बाधा न बनें, । लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली शहर में सबसे अधिक संख्या में अप्लीकेशंस आती हैं एक साथ होने को क्योंकि सभी तरह के इम्प्लाईज यहां पर हैं—सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं, बैंकों के हैं, डिफेंस के हैं, हर तरह के इंपलाईज यहां पर हैं और यहां पर उतनी जगहें नहीं हैं हमारे केन्द्रीय विद्यालयों में और उनमें जितने शिक्षकों की जगहें हैं उसमें देखना पड़ता है उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं और क्या उसमें जगहें खाली हो सकती हैं, जैसे एक ही फिजिक्स में 10 अप्लीकेशंस आ जाएं तो कैसे सबको दे सकते हैं ?

श्री सभापति : आप प्रयास कर रहे हैं ?

श्री एल० पी० साही : हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही दिक्कतें हमारे सामने आ जाती हैं ।

श्री सभापति : अटल बिहारी जी ने जो अड़चनें बताई उनको देखिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जिनको भगवान ने एक कर दिया, समाज ने एक कर दिया उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन अलग कैसे कर सकता है ।

श्री सभापति : एक यहां और एक वहां दोनों मिल तो गये ।

श्री एल०पी० साही : जब उनका प्रोमोशन होता है पी०जी०टी० या वाइस प्रिंसिपल में होता है जहां पर वह रहते हैं उसके बगल में करते हैं । पहले यह था कि दूसरी भाषाओं में और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में भेजा जाए लेकिन पिछली मीटिंग में मैंने इसको घटाकर एडजसेंट स्टेट में भेजने का कर दिया है प्रोमोशन पाने पर वह वहीं न रहे । प्रोमोशन पाने तक काफी उनकी सर्विस हो गयी होती है और बच्चे भी सयाने हो गये होते हैं इसलिए उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ।

कुमारी सईदा खातून : मैं यह जानना चहती हूं कि जो आपने इसका जवाब दिया है कि केन्द्रीय विद्यालयों की योजना मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है तो यह आपके बिना बताये जाहिर है । सभी को मालूम है कि इन विद्यालयों में सेन्ट्रल सर्विसेज के कर्मचारियों के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं । मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आपने जो यह लिखा है कि मध्य प्रदेश ने जो अपनी यह मांग रखी थी 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बच्चों के एडमिशन की तो मध्य प्रदेश ने अपनी यह मांग छोड़ दी है तो मैं आपसे यह मांग करती हूं क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश की हूं तो हम लोग आपका तब तक पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक आप 25 परसेंट कोटा बच्चों का पूरे मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों की एडमिशन के लिए नहीं रखते । दूसरा क्वेश्चन का पार्ट यह है कि स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ा सकते तो मत बढ़ाइये लेकिन छात्रों की या छात्राओं की संख्या तो उसमें बढ़ा सकते हैं । एडमिशन के बाद जो कोटा बचता है अक्सर यह होता है कि वह लैप्स हो जाता है तो उस कोटे में तो आप स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को चांस दे सकते हैं या नहीं ?

श्री एल० पी० साही : आपके द्वारा पीछा किये जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है । जहां तक एडमिशन का सवाल है हम लोग इसका ख्याल रखेंगे । मैंने पहले ही बताया है हम लोग विचार कर रहे हैं कि स्थानीय तौर पर हम सीट उपलब्ध करायें ।

श्री सभापति : आपके और आपके राज्य के दूसरे राज्य सभा के सदस्य श्री अटल बिहारी जी दोनों अगर पीछे पड़ गये तो मुश्किल हो जायेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आगा-पीछा सोचना पड़ेगा ।

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN : Sir, what is the present position, if any, in regard to admission of wards of employees of State Government in the Kendriya Vidyalayas located in different States ? I would like to know whether the Central Government will consider making some provision in this regard. If so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

SHRI L. P. SHAHI : I have already stated the position about the State Government employees in my reply earlier. I think there is nothing more to add to this.

SHRI JAGESH DESAI : Mr. Chairman, Sir, there are many State Government employees who are sent on deputation to the Central Government services. I would like to know whether the Government will consider these State Government employees as Central Government employees for the purpose of admission.

Secondly, the State Governments also help by way of land and other things. I would like to know whether some quota would be fixed—you are thinking of increasing the number of students from 35 to 40—say, 10 or 15 per cent, for the wards of State Government employees as well as wards of employees of Union Territories.

SHRI L. P. SHAHI : About the first part of the question, those who are on deputation to the Central Government will be treated on par with the Central Government employees. There is no difficulty about that.

So for as the question of fixing some quota is concerned, I have already said that there are three sectors ; civil, defence and the project sector. There is no question of fixing any quota in the defence and the project sectors. The question of fixing any quota can arise only in the case of the civil sector. I have already made that position clear.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, जब शिक्षा को कांक्रेंट लिस्ट में कर दिया गया है तो इसके पहले जो प्रगति हो रही थी केन्द्रीय विद्यालयों को बढाने में लगभग वही प्रगति अभी भी है । जब आपने यह कांक्रेंट लिस्ट में ले लिया है तब खुद अपने एम्पलाइज जैसे स्टेट में है तो इस तरह के लोगों के बच्चों को भी सुविधा होनी चाहिए । मैं यह समझता हूं कि चूंकि आपका आल इंडिया का स्टेन्डर्ड है इसलिए दूसरे लोग के बच्चों के लिए भी केन्द्रीय विद्यालय खोले जायें, इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री एल० पी० साही : सभापति महोदय, मुझे इस बात से खुशी होती है, कि सदस्यों का ध्यान इधर है कि केन्द्रीय विद्यालय अधिक संख्या में खोले जायें । इससे यह साबित जरूर होता है कि करीकुलम, कोर्स या पढ़ाई के सिलसिले में लोगों में संतोष है ।

श्री सभापति : यह तो आपके काम का रिकमेन्डेशन है, आपको खुश होना चाहिए ।

श्री एल० पी० साही : जैसा मैंने पहले बताया है, 25 वर्षों में जितने स्कूल खुले थे उससे थोड़े कम पिछले पांच वर्षों में खुले हैं । इसकी इधर गति भी तेज हुई है । लेकिन फिर भी कहीं जमीन नहीं मिलती है । जैसे ओल्ड दिल्ली में सेन्ट्रल स्कूल खोला जाय इसकी मांग है और मैं भी चाहता हूं कि खोला जाय क्योंकि वहां काफी इम्प्लाइज हैं । लेकिन कहीं जमीन नहीं मिलती है । इसलिए अगर जमीन कम कर दें तो बच्चों के खेलने का कोई साधन नहीं रहेगा तो उनका संतुलित विकास नहीं होगा ।

श्री चतुरानन मिश्र : कंकरेन्ट लिस्ट में लेने के बाद आपने क्या स्पेशल ध्यान दिया है ?

श्री एल० पी० साही : कंकरेन्ट लिस्ट में लेने के बाद ही तो कहा है कि बहुत तेजी से स्कूलों में वृद्धि हुई है।

श्री चतुरानन मिश्र : लेकिन जैसे पहले चल रहा था उसी तरह दूसरे में भी चल रहा है। आपने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी निभाइये तो। मैंने यह पूछा है कि जो दूसरे स्टेट बैंक वगैरह के लोग हैं उनको भी यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मेरा निवेदन यह है कि कंकरेन्ट लिस्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है, उनका एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति करना हमारा कर्त्तव्य है और उसी हिसाब से स्कूल खोले जाते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, आपका इसमें थोड़ा सहयोग चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि कंकरेन्ट लिस्ट से इसका मतलब नहीं है। तो आपने किस बात के लिए कंकरेन्ट लिस्ट बनाई ? अभी तो कहा कि इसमें हसबेन्ड वाइफ का कोई रिलेशन नहीं है। अभी कह रहे हैं कि कंकरेन्ट लिस्ट से कोई रिश्ता नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय विद्यालयों का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो केन्द्र के इम्प्लाइज हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे डिफेन्स के हों या दूसरे हों विशेषकर उनके बच्चों की जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जाये। यह इनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सामने रखकर यह बताया गया कि कंकरेन्ट लिस्ट से इसका क्या संबंध पड़ेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : स्टेट बैंक के इम्प्लाइज को क्यों नहीं मिलता है ?

श्री सभापति : इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। इसका परपज सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज से है।

श्री चतुरानन मिश्र : जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं क्या उनके बच्चों को मिला है... (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक केन्द्र के मुलाजिमों का ताल्लुक है उनके बच्चों की जरूरत पूरी होने के बाद अगर फर्ज कीजिये कि बैंकों के लोगों के बच्चे हैं तो उनके बच्चों को भी एडमिशन देते हैं। उसी तरह से अगर फर्ज कीजिये कि बच्चे पूरे नहीं तो स्थानीय रूप से भी जो स्टेट के बच्चे हैं उनको भी हम एडमीशन देते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : स्टेट के बच्चे क्या होते हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : आप अगर शब्दावली पर जाकर ही खुश होना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप शब्दावली पर अवधारणा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आप वह समझते हैं जो बात मैंने कही है।

DR. NAGEN SAIKIA : Under special dispensation also some students are admitted in Kendriya Vidyalayas. I want to know, what is the difficulty for reserving at least some percentage of seats for the State Government at least under special dispensation, considering the fact that the Central Government employees also get an opportunity to get their children admitted in the State-run institutions ?

SHRI L.P. SHAHI : I have already stated in my reply that if there are vacant seats we allow them to be filled up locally.

MR CHAIRMAN : He is emphasizing that you must admit them. Because the State Government admits Central Government employees' children, you should admit State Government employees' children. That is his argument.

SHRI L.P. SHAHI : If the number of schools expands further in the civil sector, then we may some day consider it later on.

MR CHAIRMAN : I hope the Government of India will keep in mind the views of the House and see if they can expand the number of schools or sections into something because it is a commendation for which they should be happy.

Issue of bonds for modernisation of airports by National Airports Authority

*222. SHRI YASHWANT SINHA : †

SHRI KAMAL MORARKA :

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for the issue of bonds by the National Airports Authority for modernisation of airports;

(b) if so, what are the salient features of the proposal; and

(c) whether similar proposals are also being considered for the issue of bonds by Air India and Indian Airlines ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL) : (a) and (b) A suggestion has been received regarding issue of public bonds, examination of which is at a preliminary stage.

(c) No, Sir.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Yaswant Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA : Sir, I am surprised that the Ministry is examining this proposal even at a preliminary stage at all, because the Minister must be aware that as far as the National Airports Authority is concerned — this is my first supplementary—according to the statement which has been made in the Annual Report of the Ministry, a total cash accrual of Rs. 39·10 crores took place during the last financial year. This was the total cash accrual to the National Airports Authority on the one hand. On the other hand, the approved outlay for 1988-89 for aerodrome works was Rs. 27.26 crores, out of which the National Airports Authority was able to spend only Rs. 20.75 crores. There was a shortfall of Rs. 7 crores. So, on the one hand there is a cash accrual of something like Rs. 40 crores and, on the other, there is a non-spending of something like Rs. 7 crores on aerodrome works. Now, in the light of this, why should the Government at all consider the question of issuance of bonds by the National Airports Authority when the financial picture, on the one hand, is so good and, on the other, the performance in relation to work is so bad ? Part (b) of my question is, is it as a result of this that many airports in the country are in a state of total neglect, thereby endangering civil air traffic ?

SHRI SHIVRAJ PATIL : Sir, while considering the requirements of the National Airports Authority, we shall have to consider the requirement of the Authority not for one year but for more than one year. In the Eighth Five-Year Plan the requirement of the National Airports Authority is in the vicinity of Rs 988.36 crores. Out of this amount, the amount required for the aerodromes is going to be Rs 263 crores. Aeronautical and communication services would require Rs. 649 crores and ground